दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित :17 जनवरी, 2023

निर्णय की तिथि:13 अप्रैल, 2023

रि.या.(सि.) 13050/2021

रघुनाथ .....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री चिरायु जैन, अधिवक्ता
(एम: 7406073670)

बनाम

दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड और अन्य .प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री अभय दीक्षित, प्र-1 के अधिवक्ता श्री मोहम्मद शाहिद खान और श्री दिव्यम नंदराजोग, प्र-2 के अधिवक्तागण,
(एम: 9711350679)

कोरमः

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह

<u>निर्णय</u>

<u>प्रतिभा एम. सिंह, न्या.</u>

1. इस मामले में सुनवाई हाइब्रिड मोड द्वारा की गई है।

<u>पृष्ठभूमि</u>

2. वर्तमान मामले में, यह न्यायालय याचिकाकर्ता-रघुनाथ, एक भवन और अन्य निर्माण श्रमिक के संबंध में पेंशन के मुद्दे से संबंधित है| याचिकाकर्ता ने दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 (इसमें इसके पश्चात् 'नियम') के नियम 273 के अनुसार पेंशन जारी करने के लिए दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (इसमें इसके बाद 'बोर्ड') को आवेदन किया था|

3. ***रि.या.(सि) 3001/2020 शीर्षक जय पाल और अन्य बनाम दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड मामले में*** 20 मई, 2020 के आदेश द्वारा इस न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने पेंशन लाभ जारी करने के लिए बोर्ड के पास लंबित आवेदनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था और निम्नलिखित आदेश पारित किया था:

> *"10. इस स्तर पर, मैं ध्यान दें कर सकता हूं कि प्रत्यर्थी सं.1 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी सं. 1 के पर्याप्त कर्मचारियों/अधिकारियों की कमी के कारण भी फाइल की कार्रवाई में देरी हो रही है|*
>
> *11. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान याचिका में दावा समाज के सबसे निचले तबके के लिए है जो कोविड-19*

महामारी और उसके परिणामस्वरूप लॉकडाउन से सबसे अधिक प्रभावित हैं, यह उम्मीद की जाती है कि प्रत्यर्थी सं. 2 यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्यर्थी सं.1 ***को लंबित आवेदनों के साथ-साथ नए आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए*** *पर्याप्त कर्मचारी/अधिकारी प्रदान किये गए हैं, जो प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा श्रमिकों के लिए घोषित योजना के तहत लाभों के अनुदान के लिए प्राप्त किए जाएंगे| इस उद्देश्य के लिए, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से भी श्रमिकों को आवश्यक सहायता प्रदान करने का और साथ ही प्रत्यर्थी सं.1 सत्यापन की प्रक्रिया में सहायता करने का अनुरोध किया जाता है|"*

4. बोर्ड द्वारा पेंशन लाभ प्रदान करने और अनुदान के लिए आवेदनों की त्वरित कार्रवाई का निर्देश देते हुए उक्त आदेश पारित किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता और कई अन्य लाभार्थियों को भी उनके पेंशन आवेदनों के संबंध में कमी संबंधी पत्र प्राप्त हुए। इसलिए, पेंशन लाभ जारी नहीं किए गए हैं।

संक्षिप्त तथ्य

5. याचिकाकर्ता- श्री रघुनाथ एक बढ़ई हैं, जिन्होंने कई दशकों तक निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया। उन्हें 19 मार्च, 2013 को बोर्ड में पंजीकृत किया गया था। बोर्ड द्वारा जारी किए गए पंजीकरण कार्ड के अनुसार उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी, 1955 के रूप में पंजीकरण संख्या 6130338393 के साथ दर्शाई गई है। वह ए-316, जे जे कॉलोनी, इंदर कॉलोनी, दिल्ली 110052 का निवासी था| उसके पंजीकरण कार्ड से पता चलता है कि उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बेटे हैं।

6. याचिकाकर्ता ने 31 दिसंबर, 2014 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली। उसने 5 जनवरी, 2016 को पेंशन के लिए एक आवेदन किया| यह याचिकाकर्ता का मामला है कि बार-बार प्रयासों, अनुस्मारकों और अभ्यावेदनों के बावजूद, पेंशन के लिए उसके आवेदन पर बोर्ड द्वारा कार्रवाई नहीं की गई|

<u>बोर्ड के साथ पत्राचार</u>

7. बोर्ड द्वारा 10 जून, 2020 को याचिकाकर्ता को एक कमी संबंधी पत्र जारी किया गया था, जिसके अनुसार, यह दर्ज किया गया था कि श्रम कार्ड और आधार कार्ड में उम्र अलग थी। उठाई गई कमी का विवरण इस प्रकार हैः

> "पंजीकृत सदस्य की पेंशन फाइल का अवलोकन करने पर <u>यह पाया गया कि श्रम कार्ड और आधार में उम्र अलग-अलग है</u>। इसलिए, आधार कार्ड के अनुसार 60 वर्ष की आयु 1/1/1957 से 1/1/2017 तक रघुनाथ द्वारा पूरी कर ली गई है, जबकि उसका लेबर कार्ड 19/3/2013 से 18/2/2016 तक चालू थाः इसलिए, 19/2/2016-2017 से वैध पंजीकरण के रूप में मौजूद था क्योंकि सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी को बोर्ड का सदस्य होना चाहिए|
>
> इसलिए आपको निर्देश दिया जाता है कि आप 30 दिनों के भीतर उपरोक्त कमी को ठीक कर दें ताकि आपके आवेदन पर उचित कार्रवाई की जा सके।
>
> कृपया ध्यान दें कि यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं तो न तो आपके आवेदन पर कोई कार्रवाई की जाएगी और न ही इस पर कोई संज्ञान लिया जा सकता है।"

8. जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, कमी संबंधी नोटिस प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता ने एक हलफनामा दायर किया, जिसमें पुष्टि की गई कि उसकी जन्म तिथि 1 जनवरी, 1955 थी और उसने फिर से अपना आधार कार्ड प्रस्तुत किया, जिसमें 1 जनवरी, 1955 के रूप में उसकी आयु दर्शाई गई थी। इस तथ्य को भी याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बोर्ड को कमी संबंधी पत्र के संबंध में दिनांक 17 सितंबर, 2020 के जवाब के माध्यम से स्पष्ट किया गया था।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान् अधिवक्ता ने अपने जवाब में यह भी तर्क दिया है कि नियमों के नियम 266 (2) के अनुसार उम्र का हलफनामा उम्र का एकमात्र निर्धारित प्रमाण है| उक्त जवाब के प्रासंगिक अंश नीचे दिए गए हैं:

> "यह प्रस्तुत किया जाता है कि 10 जून 2020 के आक्षेपित कमी संबंधी पत्र में उसकी सेवानिवृत्ति की आयु को गलत तरीके से 01.01.2017 के रूप में दर्ज किया गया है। जबकि, **श्री रघुनाथ की आयु 60 वर्ष होने की सही तिथि 01.01.2015 थी। यह वह तारीख है जो उनके पंजीकरण कार्ड में दर्ज है और उन्होंने दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड नियमों के नियम 266 (2) के संदर्भ में अपनी उम्र साबित करने के लिए हलफनामा दिया है।** श्री रघुनाथ की आयु के हलफनामे की प्रति यहां संलग्न की गई है और संलग्नक ख के रूप में चिह्नित की गई है।
>
> यहां तक कि श्री रघुनाथ के आधार कार्ड में भी जन्म तिथि 01.01.2015 ही दर्ज की गई है। इसलिए, आपने जो कमी बताई है, वह गलत है और अभिलेख के विपरीत है। श्री रघुनाथ के आधार कार्ड की प्रति यहां संलग्नक सी के रूप में संलग्न है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड नियम कहीं भी बोर्ड को आयु के प्रमाण के लिए आधार कार्ड पर भरोसा करने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि निजी ऑपरेटरों द्वारा यूआईडीएआई डेटाबेस में दर्ज किया गया डेटा विश्वसनीय नहीं है और जनसांख्यिकीय तथ्यों का पता लगाने का आधार नहीं हो सकता है| जबकि, दूसरी ओर, **आयु का हलफनामा न केवल नियम 266 (2) के अनुसार आयु के प्रमाण के रूप में निर्धारित किया गया है, बल्कि इसे श्री रघुनाथ द्वारा पंजीकरण के समय भी प्रस्तुत किया गया था।**

श्री रघुनाथ ने अंतिम बार 19.03.2015 से 18.02.2016 की अवधि के लिए अपने पंजीकरण का नवीकरण 19.03.2015 को किया था। वर्तमान मामले में, निर्विवाद रूप से, नियम 267 (2) और धारा 17 (1) के संदर्भ में चूक होने से पहले श्री रघुनाथ साठ वर्ष के हो गए। इसलिए, यह स्पष्ट है कि श्री रघुनाथ अपनी सेवानिवृत्ति के समय एक पंजीकृत कामगार थे और इसलिए वे नियम 272 और 273 के साथ पठित धारा 22 (1) (बी) के तहत पेंशन के पात्र हैं।"

10. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि इस जवाब के बावजूद, याचिकाकर्ता के आवेदन पर कार्रवाई नहीं की गई है। याचिकाकर्ता द्वारा और उसकी ओर से बोर्ड को बार-बार अनुस्मारक भेजे गए हैं। फिर, दिनांक 4 फरवरी, 2021, के एक दूसरे कमी संबंधी पत्र द्वारा, याचिकाकर्ता को अपना वैध आयु प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया और उसे व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बुलाया गया| इस कमी संबंधी पत्र का अनुवादित संस्करण इस प्रकार है: –

"विषय: पेंशन लाभ के अंतर्गत वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए आपका आवेदन।

सर/मैडम

आपके उपर्युक्त संदर्भित आवेदन के संदर्भ में, आपको एतत द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा किये गए आवेदनों के अवलोकन और जांच के बाद निम्नलिखित खामियां पाई गई हैं, जो इस प्रकार हैं: -

1.कृपया अपने वैध आयु प्रमाण की प्रति जिला कार्यालय में जमा करें।

2. जिला कार्यालय पर प्रासंगिक आयु प्रमाण के साथ आपकी स्वयं उपस्थिति अपेक्षित है।

इसलिए, आपको निर्देश दिया जाता है कि कृपया 30 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन में पूर्वोक्त विसंगतियों/दोषों को ठीक करें, ताकि आपके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

कृपया ध्यान दें, यदि आप इसे प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं, तो आपके द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे आवेदन पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और भविष्य में इस संबंध में कोई सूचना स्वीकार नहीं की जाएगी।"

11. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बार-बार अनुस्मारक दिए जा रहे हैं, न तो कोई उत्तर प्राप्त हुआ और नहीं याचिकाकर्ता के आवेदन पर कार्यवाही की गई, वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता -रघुनाथ द्वारा दायर की गई है।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

12. इस रिट याचिका में प्रार्थना यह है कि दिनांक 1 जनवरी, 2015 से लागू पेंशन को उचित ब्याज के साथ मंजूर और जारी किया जाए।

13. इस याचिका पर पहली बार दिनांक 18 नवंबर, 2021 को सुनवाई हुई थी और उक्त तिथि को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद, दिनांक 31 जनवरी, 2022 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी के अधिवक्ता के इस वचन के साथ याचिका का निपटान किया गया था कि याचिकाकर्ता की पेंशन 15 दिनों के भीतर जारी कर दी जाएगी। उक्त आदेश का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:-

> *"प्रत्यर्थी सं. 1 राज्यों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभय दीक्षित को यह कहने का निर्देश है कि एक बाहरी सीमा के रूप में 15 दिनों की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को पेंशन जारी कर दी जाएगी। उसका बयान अभिलेख पर लिया जाता है और इसी को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निपटान किया जाता है।"*

14. हालांकि, याचिका का निपटान किए जाने के बाद, प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 31 जनवरी, 2022 के उस आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन, ***सि.वि.आ. 9360/2022*** दायर किया, जिसमें दावा किया गया था कि याचिकाकर्ता बोर्ड से पेंशन लेने के लिए अयोग्य था। बोर्ड का यह तर्क था कि पेंशन के लिए पात्र होने के लिए, एक भवन और निर्माण श्रमिक को सेवानिवृत्ति से ठीक पहले कम से कम तीन वर्षों के लिए बोर्ड का सदस्य होना आवश्यक है। वापस लेने हेतु आवेदन का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है :-

> *"5 कि हालांकि, बाद में यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 13.03.2013 को लाभार्थी सदस्यता के लिए आवेदन किया है और उसके संशोधित आधार कार्ड के अनुसार उसने*

दिनांक 01.01.2015 को अपनी 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। इस प्रकार, इस स्थिति में, अधिनियम की धारा 14(2) के अनुसार, कल्याणकारी योजना के लाभों का दावा करने के लिए कानूनी आवश्यकता पूरी नहीं होगी। लाभ का दावा करने के लिए लाभार्थी सदस्य की सेवानिवृत्ति से ठीक पहले तीन वर्ष की निरंतर लाभार्थी सदस्यता होनी चाहिए। भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 14(2) का प्रावधान नीचे दिया गया है :-

> *(2)उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने से ठीक पहले कम से कम तीन वर्षों तक लगातार लाभार्थी रहा है तो वह ऐसे लाभों को प्राप्त करने का पात्र होगा जिनका प्रावधान हो।*

हालांकि, वर्तमान मामले में आधार कार्ड में संशोधन के बाद याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की तारीख पर 2 साल की निरंतर सदस्यता है और अधिनियम की धारा 14(2) के तहत कानूनी आवश्यकता पूरी नहीं हुई है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 14(2) के तहत आवश्यकता को पूरा न करने के कारण याचिकाकर्ता को पेंशन जारी नहीं की जा सकती है। याचिकाकर्ता के सदस्यता कार्ड और संशोधित आधार कार्ड की प्रति क्रमशः ***अनुलग्नक-आर-3 और अनुलग्नक-आर-4*** *के रूप में इसके साथ संलग्न हैं।"*

15. दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2023 के आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन को इस

प्रथमदृष्टया दृष्टिकोण से स्वीकार किया गया था कि भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (इसमें इसके बाद 'अधिनियम') की धारा 14 की उप-धारा 2 और नियमावली के नियम 272 के बीच विरोध है। उक्त आदेश का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है :-

> *"1. वर्तमान रिट याचिका का निपटान दिनांक 31 जनवरी, 2022 को किया गया, जब न्यायालय ने बोर्ड की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई रियायत पर विचार किया, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि पेंशन 15 दिनों की अवधि के भीतर जारी की जाएगी। बोर्ड ने आदेश वापस लेने हेतु एक आवेदन दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि कानून के मुद्दे पर दी गई रियायत किसी भी स्थिति में बाध्यकारी नहीं होगी और चाहे जो हो एक दिलचस्प स्थिति पैदा हो गई है जहां यदि निर्देश का पालन किया जाता है, तो इसका परिणाम भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों के विनियमन) अधिनियम 1996 की धारा 14(2) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन होगा। अधिनियम में ऐसे व्यक्ति को लाभों के भुगतान की परिकल्पना की गई है जो 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के तुरंत पहले कम से कम तीन वर्षों से लगातार लाभार्थी रहा हो। वर्तमान मामले के तथ्यों में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 13मार्च, 2013 को सदस्यता के लिए आवेदन किया था। यह उनका मामला है कि याचिकाकर्ता के आधार कार्ड में दिए गए विवरण के अनुसार, वह दिनांक 01 जनवरी, 2015 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका होगा। पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह उनका तर्क है कि जब कि*

याचिकाकर्ता विभिन्न अन्य लाभों का हकदार हो सकता है, उसे संभवतः पेंशन के लाभ नहीं दिए जा सकते हैं क्योंकि वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले कम से कम तीन साल से लाभार्थी नहीं था।

2. दूसरी ओर याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ता ने दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा की शर्तों के विनियमन) नियमावली 2002 [2002 नियमावली] के नियम 273 में और विशेष रूप से नियम 273(5) में किए गए प्रावधानों का उल्लेख, यह प्रस्तुत करने के लिए किया है कि उसके परन्तुक में स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया है कि पेंशन का लाभ उन निर्माण श्रमिकों को दिया जाएगा जो बोर्ड के साथ कम से कम एक वर्ष के लिए पंजीकृत रहे हों।

3. यह प्रथम दृष्टया दोनों के बीच टकराव का मुद्दा उठाएगा जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 31 जनवरी, 2022 के आदेश को वापस ले लिया गया है। रिट याचिका अपनी मूल संख्या में बहाल रहेगी।"

16. बोर्ड के सचिव द्वारा एक प्रति-शपथपत्र दाखिल किया गया है। कथित शपथ पत्र काफी अधूरा है और अस्वीकृति का कोई आधार नहीं देता है।

प्रति-शपथपत्र में एकमात्र अभिवचन इस प्रकार है :-

"4. कि याचिकाकर्ता को पेंशन जारी करने के लिए, याचिकाकर्ता को पहले से ही चार कमी संबंधी पत्र भेजे गए हैं, जिस के द्वारा याचिकाकर्ता को पेंशन आवेदन पर कार्यवाही के लिए उसके

दस्तावेजों में कमी के बारे में अवगत कराया गया था। हालांकि, अपनी जन्मतिथि को साबित करने के लिए उचित दस्तावेज देने के बजाय, याचिकाकर्ता ने केवल एक शपथपत्र और संशोधित आधार कार्ड दायर किया है। याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में दाखिल अनुलग्नक पी-6 और अनुलग्नक पी-7 का अवलंब लिया जाए।

xxx xxx xxx

6. यह अपनी याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा अनुलग्नक पी-2 में दाखिल अंश दान पंजिका से आगे स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने सदस्यता शुल्क का अपना अंतिम अंशदान दिनांक 19.03.2015 को दिया था, जो दिनांक 18.02.2016 तक वैध था, जो इस बात की पुष्टि करता है कि याचिकाकर्ता यह स्वीकार कर रहा है कि उसने दिनांक 01.01.2015 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी। और बाद में यह दावा करने का कार्य कि वह दिनांक 01.01.2015 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है विबंधन के सिद्धांत के अनुसार दिनांक 19.03.2015 को सदस्यता शुल्क के भुगतान का उसका बयान इसे विबंधित करता है।"

17. उपरोक्त प्रति-शपथपत्र के अवलोकन से पता चलता है कि लिया गया एक मात्र आधार यह है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 19 मार्च, 2015 से 18 फरवरी, 2016 के बीच की अवधि के लिए अपना योगदान दिया था। बोर्ड, इसलिए, यह विचार रखता है कि दिनांक 18 फरवरी, 2016, तक किए गए योगदान को ध्यान में रखते हुए और यह कि याचिकाकर्ता दिनांक 1 जनवरी, 2015, को सेवा निवृत्त नहीं हो सकता था और इस प्रकार, याचिकाकर्ता के मामले में कुछ कमी है।

18.प्रति-शपथपत्र में दर्ज है कि आधारकार्ड में उम्र को सही कर दिया गया है। हालांकि, लिखित प्रस्तुतियों में, नियमावली के नियम 272 और भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (इसमें इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में उल्लिखित) की धारा 14 के बीच टकराव का मुद्दा उठाया गया है। बोर्ड के सचिव द्वारा एक बार फिर इस मुद्दे को उठाते हुए एक विस्तृत प्रति-शपथपत्र दिनांकित 6 दिसंबर, 2022 दाखिल किया गया है।

19. इस मामले के समग्र तथ्यों में, बोर्ड के साथ पंजीकरण कार्ड में और आधार कार्ड में याचिकाकर्ता की जन्म तिथि सही से दर्ज की गई है। इस प्रकार, इन दोनों दस्तावेजों के बीच कोई विरोधाभास या अंतर नहीं है। केवल एक ही मुद्दा उठाया गया है जो नियमों के नियम 272 और अधिनियम की धारा 14 के बीच संघर्ष से संबंधित एक कानूनी मुद्दा है। दुलारी देवी बनाम दिल्ली **भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड और अन्य 2023/डीएचसी/001341 जिसमें यह निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया हैः**

> “41. अधिनियम की धारा 14 और नियमों के नियम 272 का अवलोकन प्रथम दृष्टया परस्पर विरोधी प्रतीत हो सकता है। हालांकि, एक बारीकी से देखने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि वे दो अलग-अलग क्षेत्र में काम करते हैं।
> 42. अधिनियम की धारा 14 लाभार्थियों के रूप में समाप्ति से संबंधित है और नियमों का नियम 272 पेंशन के लिए पात्रता से

संबंधित है। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो लाभार्थी की स्थिति का संचालन बंद हो जाता है। दूसरी परिस्थिति में समाप्ति यह है कि यदि कर्मचारी ने एक वर्ष में 90 दिन से अधिक काम नहीं किया है अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) "उप-धारा 1 में किसी बात के बावजूद" भी इस वाक्यांश के साथ शुरू होती है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा 2 उन परिस्थितियों और शर्तों का एक अपवाद है जिनके तहत किसी लाभार्थी की समाप्ति हो जाती है |

43.अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि यदि कोई कर्मचारी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले लगातार कम से कम तीन वर्षों तक लाभार्थी रहा हो| ऐसे कर्मचारी लाभों को प्राप्त करने के पात्र होंगे जैसा की निर्धारित किया है इस प्रकार, अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) में निर्धारित 90 दिनों के वार्षिक नियम के लिए एक अपवाद बना रही है। इसलिए धारा 14 की दो उप-धाराओं के समग्र पढ़ने का मतलब यह होगा कि यदि किसी कर्मचारी ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के समय एक वर्ष में 90 दिनों से कम काम किया है, तो उसे लाभार्थी नहीं माना जाएगा।तथापि, इसका अपवाद यह होगा कि यदि ऐसा कर्मचारी जिसने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के समय 90 दिन या उससे अधिक समय तक काम नहीं किया हो, वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से कम से कम तीन वर्ष पहले तक लाभार्थी रहा हो, तो वह लाभार्थी बना रहेगा। इसलिए, यदि किसी

कर्मचारी ने 59 वर्ष की आयु में 90 दिन से कम काम किया है, यदि ऐसा कर्मचारी 57 वर्ष की आयु से 60 वर्ष की आयु तक लाभार्थी रहा उसका लाभार्थी के रूप में उसका दर्जा समाप्त नहीं होगा।

44. इसलिए, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 14 पेंशन के हकदार कर्मचारी के लिए पात्रता निर्धारित नहीं कर रही है, लेकिन यह शर्तों के लिए प्रदान कर रही है कब कोई लाभार्थी लाभार्थी नहीं है। अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) के पठन से यह बहुत स्पष्ट होता है कि लाभों के लिए पात्रता 'जैसा कि निर्धारित किया जाए' होगी। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 2 (ण) आदेश करता है कि 'विहित करना' अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार होगा। इस प्रकार, लाभार्थी की स्थिति की समाप्ति अधिनियम की धारा 14 द्वारा नियंत्रित होती है और पेंशन के लिए पात्रता नियम 272 द्वारा शासित होती है।

45. तदनुसार, इन दोनों उपबंधों के बीच कोई विरोध नहीं है जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) में निर्धारित समाप्त होने की शर्तों के लिए केवल एक अपवाद है और इससे अधिक कुछ नहीं है। इसके विपरीत कोई भी पठन अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) को जरूरत से ज्यादा या नियमों के नियम 272 को निरर्थक बना देगा। इस तरह की व्याख्या इसलिए इससे बचना होगा। वास्तव में, अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) के पठन से यह स्पष्ट होता है कि यह अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) का केवल एक अपवाद

है और अधिनियम के तहत विभिन्न लाभों को निषेध करने के लिए पात्रता शर्तें निर्धारित नहीं करता है जो नियमों के तहत प्रत्येक लाभ के लिए विशेष रूप से और अलग से निर्धारित किए गए हैं।

46. अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) जहां समाप्त होने के कारण, लाभार्थियों को उनके लाभ के अधिकार से बाहर रखती है, वहीं अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) अधिक व्यक्तियों को लाभार्थियों के दायरे में लाती और शामिल करती है| इस प्रकार, अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) प्रभावी रूप से एक प्रावधान है जिसका आशय अपवर्जित करने के बजाय अधिक संख्या में लाभार्थियों को शामिल करना है।

47. अपवर्जन अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) में निहित है और अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (2) में उन कर्मचारियों के निश्चित वर्गों को अपवाद प्रदान किया गया है जिन्होंने तीन वर्षों तक काम किया है, उनकों बाहर नहीं रखा जाएगा।

48. इस प्रकार, अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (2) एक समावेशी उपबंध है न कि अपवर्जनकारी, जैसा कि बहस या व्याख्या किए जाने की मांग है।

सरल शब्दों में कहें तो 1 अप्रैल, 2022 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने वाले कर्मचारी 'क' का एक निदर्शी उदाहरण लिया जा सकता है। अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (1) के तहत, यदि कर्मचारी 'क' ने 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के बीच 90 दिनों से कम काम किया होता, तो उसे अधिनियम की धारा 14 की

उप-धारा 1 के तहत बाहर रखा जाता है। हालांकि, यदि कार्यकर्ता 'क' को 2019 से 2022 तक लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया गया था, जब वह सेवा-निवृत्ति प्राप्त करता है, तो यह तथ्य कि उसने 90 दिनों से अधिक काम नहीं किया है उसे लाभार्थी के रूप में अयोग्य नहीं माना जाएगा। अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 2 को ध्यान में रखते हुए, ऐसे कर्मचारी 'क' अधिनियम के तहत लाभार्थी बने रहेंगे होंगे|

49. **नियमों के नियम 272 में पेंशन के लिए पात्रता निर्धारित की गई है अर्थात कोई भी कर्मचारी जिसने नियमों अर्थात 2022 के लागू होने के बाद कम से कम एक वर्ष तक काम किया है, 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन के लिए पात्र होगा। इस प्रकार,** नियमों के नियम 272 के तहत यह प्रावधान है कि सभी कर्मचारियों को यह दिखाना होगा कि कर्मचारी 60 वर्ष पूरे होने पर कम से कम एक वर्ष के लिए नियमों के तहत लाभार्थी था। जिस पेंशन के लिए कर्मचारी पात्र है, उसे तदनुसार वितरित किया जाएगा।"

20. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता मार्च, 2013 से बोर्ड के साथ पंजीकृत है और सेवानिवृत्ति के समय, उसने एक साल से अधिक समय तक एक भवन और अन्य निर्माण श्रमिक के रूप में काम किया था और पूरी अवधि के लिए अपने योगदान का भुगतान किया था| यह तथ्य कि अंशदान की अवधि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद कुछ महीनों के लिए बढ़ाई गई है, इस निष्कर्ष का नेतृत्व

नहीं कर सकता है कि जन्म की दिनांक गलत थी या पेंशन लाभों से इनकार किया जा सकता है।

21. यह न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान दें देता है कि बड़ी संख्या में निर्माण श्रमिक या तो निरक्षर हैं या अर्ध-निरक्षर हैं और वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। यह लगभग संभव है कि उनके परिवार जन्म की दिनांक के उचित रिकॉर्ड को संरक्षित न करें और अधिकांश अवसरों पर जन्म की दिनांक परिवार में वयस्कों के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर भरी जाती है और निश्चित बाहरी घटनाएं भी हो सकती हैं।

22. जैसा कि **बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ओआरएस बनाम भारत संघ (यूओआई) और अन्य, (2007) आईएलआर 1 दिल्ली 1143** में अभिलिखित किया गया है, लाभकारी कानून के रूप में अधिनियम में पेंशन जैसे लाभों सहित निर्माण श्रमिकों के लिए लाभों की परिकल्पना की गई है। निर्माण श्रमिकों के पेंशन का अधिकार को केवल जन्म तिथि में किसी अंतर के कारण वंचित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि कर्मचारी की पहचान स्थापित की जा सकती है और दावा एक फर्जी दावा या काल्पनिक दावा नहीं है।

23. तदनुसार, याचिकाकर्ता के पेंशन के आवेदन पर कार्रवाई न करने का कोई औचित्य नहीं है। इस याचिका में याचिकाकर्ता ने अधिनियम में निर्धारित शर्तों और पेंशन और अन्य लाभों को जारी करने के नियमों को पूरा किया, जिसके वह

हकदार था| इसलिए, श्रमिकों को बकाया पेंशन जारी करने के लिए याचिकाओं को अनुमति दी जाती है और उपर्युक्त शर्तों में निपटान किया जाता है।

24. याचिकाकर्ता को देय पेंशन और लागू ब्याज 8 सप्ताह के भीतर जारी किया जाएगा, जो नियमों के अनुसार प्रत्ययों और दस्तावेजों के आवश्यक सत्यापन के अधीन होगा।

25. इस मामले की प्रकृति पर विचार करते हुए और इस तथ्य के कारण कि याचिकाकर्ता को एक लंबी अवधि के लिए उसकी उचित पेंशन से गलत तरीके से वंचित किया गया है, याचिककर्ता को रु. 25000/- की लागत प्रदान की जाती है| कथित लागत का भुगतान बोर्ड द्वारा याचिकाकर्ता को आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा|

प्रतिभा एम सिंह
न्यायमूर्ति

13 अप्रैल, 2023
एमआर/एएम

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*